

12 हजार करोड़ का हो सकता है द्वितीय अनुपूरक बजट

पदोन्नति के लिए डीपीसी हर साल होगी

सीएम ने किया आश्चर्य

अफसरों को किया ताकीद, केवल पुराने मामले निपटाने से काम नहीं चलेगा

कन्हैया लोधी
भोपाल, 5 अक्टूबर. वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. वित्त विभाग ने बजट बनाने से पहले ही कड़ा वित्तीय अनुशासन लागू कर दिया है. वित्तीय बोझ बढ़ाने वाले नए मदों के प्रस्ताव भेजने की अनुमति किसी भी विभाग को नहीं होगी. मिले संकेतों के मुताबिक द्वितीय अनुपूरक बजट लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच सकता है.

मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 नवंबर के बाद आहुत किया जा सकता है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए 7765 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया था. माना जा रहा है कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार प्रथम अनुपूरक बजट के मुकाबले लगभग दोगुना तक हो सकता है. यह वह समय है, जब कि राज्य सरकार को अतिरिक्त खर्च के लिए राशि का इंतजाम करना होता है. द्वितीय अनुपूरक में सबसे अधिक राशि का प्रावधान



22 तक देना होगा प्रस्ताव
वित्त विभाग ने सभी विभागों से द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए 22 अक्टूबर तक प्रस्ताव मांगे हैं. वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक यदि विभागों ने भारत सरकार कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसके लिए मैचिंग ग्रांट की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे मद के लिए राशि का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में किया जा सकेगा. किसी भी तरह की लवजरी सुविधाओं जैसे कार्यालयों के नवीनीकरण, वाहन की खरीदी जैसे प्रस्ताव भेजने की अनुमति नहीं होगी.

ऊर्जा विभाग के लिए किया जा सकता है. विभाग 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने की तैयारी में है.

इधर लाइली बहना योजना के लिए समय पर राशि का इंतजाम करने का दबाव सरकार पर लगातार बना हुआ है, लिहाजा राज्य सरकार महिला एवं बाल

किसानों के लिए दो हजार करोड़ का होगा इंतजाम

प्रदेश में देश के बाकी हिस्सों के साथ इस बार मानसून कमजोर रहा है. प्रदेश के कई जिलों से सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग आने लगी है. राजस्व विभाग अब कमजोर मानसून के बाद फसलों को होने वाले नुकसान का सर्वे कराने की तैयारी में है. पिछले दिनों सीएम के पांड़ुर्ना जिले के दोरे के दौरान जिले के किसानों ने सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग की थी. प्रदेश में आने वाले दिनों में ये मांग जोर पकड़ सकती है. राजस्व विभाग इस मामले में सतर्क है. लिहाजा अब सर्वे के बाद फसलों को हुए नुकसान के साथ ही आनावरी का आकलन करेगा, उसके बाद जिलों या फिर तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है. सूखा प्रभावित घोषित होने पर जिलों में कर्ज वसूली तो स्थगित होगी ही, साथ ही किसानों को सहायता राशि वितरित करने की भी नौबत आ सकती है. इसे देखते हुए राजस्व विभाग के लिए कम से कम दो हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है. इधर स्वामित्व योजना के लिए पंजीयन के लिए भी सरकार द्वितीय अनुपूरक में राशि का इंतजाम कर सकती है. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय निजी संपत्तियों की निःशुल्क रजिस्ट्री पर कुल लगभग 4 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. इसके अलावा खरीफ उपार्जन के लिए राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए भी अतिरिक्त राशि का बंदोबस्त कर सकती है .



दिल्ली में सदिरध को पकड़ा, वह निकला संगठन का कार्यकर्ता

भोपाल, 5 अक्टूबर. रिडायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने दिल्ली में एक सदिरध को दबोचा. पुलिस ने जिस सदिरध को पकड़ा वह एक संगठन से जुड़ा सक्रिय कार्यकर्ता निकला. पुलिस वरुण को फिलहाल वृंदावन में उसकी तलाश कर रही है. आरोपी को आखिरी लोकेशन पुलिस को वृंदावन में ही मिली है. वृंदावन में वह मोटर साइकिल पर सवार होता हुआ जाता दिख.

जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द करें : शर्मा

- कमिश्नर ने टीएल की बैठक में दिए निर्देश
- आचारपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन होगी आवंटित



नवभारत संवाददाता
भोपाल, 5 अक्टूबर. संभागीय कार्यालय से सोमवार को संभागवायुक्त कर्मचारी शर्मा ने समय सीमा कार्यों की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत भोपाल में होने वाले विकास कार्यों के लिए जमीन

आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोलार तहसील के बागमुगलिया गांव की जमीन नगर निगम को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और आईपीएस के निर्माण के लिए आवंटित कराएं इससे क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल

सके. उन्होंने कहा कि गांव-शहर भोपाल, तहसील हुजूर, शहर वृत्त की 6.240 हेक्टेयर जमीन भी नगर निगम भोपाल को देने के निर्देश दिए. इस जमीन पर झुग्गी मुक्त भोपाल, सुराज नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के जरूरतमंदों के लिए मकान बनाए जाएंगे.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इसी दिशा में एक

सीएम ने एक्स पर लिखा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 5 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की पजबूती के लिए यह बेहद जरूरी है कि मतदाता सूची भी अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय हो.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इसी दिशा में एक

महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स पर कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह पर ध्यान न दें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और प्रत्येक नागरिक अपने नाम की भी पुष्टि करें.



THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORPN. LTD.

Paryawas Bhawan, Block 1-'A', Floor II, Jail Road, Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.), Phone : 0755-2763391, 2763392, 2763393 Fax : 0755-2763394, Email : info.mpsmc@mp.gov.in

NOTICE FOR REQUEST FOR EMANELMENT

REF No. : Exploration/File No.-154/2026/232 Bhopal, Dated : 05.10.2026

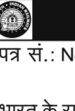
“Request for Empanelment (RFE), of Environment Consultants for Environmental Clearance for Major Mineral Blocks in Madhya Pradesh” Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (MPSMCL) invites qualified agencies accredited by National Board for Education and Training (NABET)/Quality Council of India (QCI) to participate in the Request for Empanelment (RFE) of Environment Consultants in order to obtain Environmental Clearance for Major Mineral Blocks of MPSMCL in Madhya Pradesh.

Key Details:

- **Eligibility Criteria** : Please refer to the RFE Documents for detailed eligibility conditions.
- **Access to RFE Document** : Obtain the comprehensive RFE Document from the MP Tender portal accessible at <https://mptenders.gov.in> or <https://mpsmcl.mp.gov.in>
- **Timeline** : The last date for submission of proposals is **21.10.2026 Till 05:00 PM.**

M.P. Madhyam/128369/2026

MANAGING DIRECTOR



उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं.: No.JHS/Cat/g/e-Auction/2026 दिनांक: 05.10.2026

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य)-झांसी द्वारा निम्न दी गयी श्रेणियों के अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है:-

श्रेणी: खानगान केटलॉग संख्या: JHS-MPS-OCT-26 एसेट्स डिवेलप्स : एम्पीएस स्टॉलों का आवंटन हेतु ई-नीलामी

स्टेशन	लेटऑन	लोकेशन	स्टेशन	लेट ऑन/आरक्षण
मोठ	01	पोल संख्या 1182/27 एवं 1182/25 के बीच	01 (अनारक्षित महिला)	
भडुआ सुमेपुर	01	पुराने IPS और बैटरी रूम के पास	01 (अनुसूचित जाति)	
ललितालपुर	2/3	पोल सं. 1037/36 के निकट	03 (अनुसूचित जाति)	
ग्वालियर	2/3	Cop पोल नं. 98 के पास आगरा छोर	05 (अनारक्षित)	
कुलपहाड़	01	स्टेशन भवन के बगल में झाँसी ओर	01 (अल्पसंख्यक-महिला)	
मोठ	02	पोल संख्या 1182/30 एवं 1182/32 के बीच	02 (स्वतंत्रता सेनानियों) / युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के लिए आरक्षित)	
टीकमगढ़	01	OSOP स्टॉल और COP पोल नंबर 4 के बीच में	01 (अनारक्षित)	
चित्रकूट धाम कवी	01	PF-01 के अंत में, हॉलिडे होम की ओर, MKP छोर।	01 (स्वतंत्रता सेनानियों) / युद्ध विधवाओं एवं रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं से संबंधित महिलाओं तथा रेलवे द्वारा अपने उपयोग हेतु भूमि अधिग्रहित किए जाने के कारण विस्थापित/स्थानांतरित हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षित।	
महाराजा छत्रसाल स्टेशन छत्रपुर	02	पोल संख्या 1 & 2 के बीच में	02 (बी.पी. एल.)	

ई-नीलामी प्रारम्भ होने की तिथि व समय : दिनांक: 19.10.2026 को समय- 11:00 से ई-नीलामी समाप्त होने की तिथि व समय : दिनांक: 19.10.2026 को समय- 12:50 तक

नोट:- उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेबसाइट- www.ireps.gov.in के e-auction module के माध्यम से की जाएगी। लोट अनुसार विवरण उपर्युक्त केटलॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध है।

2251/26 (PH)

North central railways @CPRONCR www.nccr.indianrailways.gov.in

आयुष्मान योजना बंद के लगाए पोस्टर, निकाली एंबुलेंस रैली



नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 5 अक्टूबर आयुष्मान योजना के भ्रगतान संकट को लेकर प्रदेश के निजी अस्पताल संचालकों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है. 8 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी कामबंद हड़ताल से पहले सोमवार को राजधानी भोपाल में दर्जनों एंबुलेंस के साथ जोरदार रैली निकाली गई.

इससे पहले शहर के तमाम निजी चिकित्सा संस्थानों के बाहर योजना बंद होने के बैनर टांग दिए गए. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और

अस्पताल प्रबंधकों का कहना है कि सरकार से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी बकाए का भुगतान नहीं हो रहा है. प्री ऑथराइजेशन मिलने के बावजूद क्लेम निरस्त किए जा रहे हैं या भारी कटौती की जा रही है. इसके अलावा एनएबीएच की बाध्द्यता और जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं से छोटे एवं मझोले अस्पतालों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. अगर 7 अक्टूबर तक मांगों का स्थाई हल नहीं निकला तो 8 अक्टूबर से पूरे राज्य में आयुष्मान मरीजों का इलाज पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा.

शिविर में आए 250 आवेदन



बैरसिया, 5 अक्टूबर. बैरसिया जनपद पंचायत परिसर में सोमवार को सेवा संकल्प के तहत सेवा सेतु अभियान- सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया. 150 हितग्राहियों को पेंशन, कर्मकार शॉर्ट और संबल योजना के हितलाभ वितरित किए. शिविर में 250 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किए और उन्हें योजना में जोड़ने सूचीबद्ध किया. कार्यक्रम में विधायक विष्णु खत्री, जिला सीईओ इला तिवारी, एसडीएम शिवांगी बघेल, जनपद सीईओ देवेश कुमार सराटे , तहसीलदार आदित्य कुमार जंगेला, नपा सीएमओ राजेंद्र सक्सेना, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुवेर सिंह गुर्जर, शरल भार्गव, वासुदेव गुप्ता, रामबाबू मीणा, नगर मंडल अध्यक्ष अंशुल आगर, नजीराबाद मंडल अध्यक्ष रामबाबू गुर्जर, आशीष सडला, पार्षद आकाश यादव , सरपंच दसरथ दोगी , जनपद कर्मचारी कमलेश शर्मा , सुमित साहू, भावेश साहू

कृषि विभाग में 1500 पदों की भर्ती इसी वर्ष पूरी होगी

सीएम ने कहा कि पदोन्नति से रिक्त पदों को समय से भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया भी लगातार चल रही है. इस वर्ष कृषि विभाग के तहत मंडी बोर्ड में 600 मंडी निरीक्षक, 50 उपयंत्री, 30 सचिव, 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कुल 1500 से अधिक पदों पर नयी भर्ती वर्ष 2026 में पूरी कर ली जाएगी. हमारी सरकार ने अब तक 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को नौकरी दी है. अगले वर्ष में एक लाख से अधिक पदों पर नई भर्ती करने का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को रवींद्र भवन में संबोधित कर रहे थे. सीएम ने कहा कि इस वर्ष की डीपीसी इसी वर्ष पूरी की जाएगी, इसे लटकया नहीं जा सकेगा, ताकि कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि विभाग के

अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति से उन्हें स्वयं को बहुत संतोष है. राज्य सरकार ने एक साथ 3 हजार 357 शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ दिया है. इसमें किसान कल्याण और कृषि विभाग के 1 हजार 725, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 1 हजार 439, कृषि अभियांत्रिकी के 149, बीज प्रमाणिकरण के 36 और बीज निगम के 8 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है. इसके

जोएडी में न जाने कौन सी जलेबी बनती थी
सीएम डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर चुटकी लेते हुए कहा कि भगवान के बाद यदि कर्मचारियों को किसी विभाग से डर लगता था तो वह जोएडी था. वहां न जाने कौन सी जलेबी बनती थी, हमने तय किया कि हम जलेबी की दुकान बंद कराएं. सरकार ने तय किया कि प्रक्रियाओं को सरल बनाना जरूरी है, जिससे कि कर्मचारियों को भटकना न पड़े.

साथ ही 44 युवाओं को सहायक वर्ग-3 के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं. राज्य सरकार हर कदम पर विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ है.

शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के समस्त कार्यों से विरत रहने की बात कही गई है.



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल (विद्युत विभाग)

अटल भवन, नवीन मुख्यालय भवन सातवां तल, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 48 /वि.शा./2026

निम्नलिखित कार्य हेतु दोलाफा पद्धति के अनुसार मोहरबंद निर्धारित निर्धारित पत्र पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	ऑनलाइन टेंडर नं.	कार्य स्थल का नाम	अनुमानित राशि	घरोहर राशि	निविदा पत्र की मीमा	टेण्डर की श्रेणी	कार्य हेतु निर्धारित एच ओ आर	निविदा की अवधि	कार्य की अवधि
1.	2026_UAD_540842.1	Street lighting arrangement for Hawkers corner-01 having 25 shops under NHAI Bridge near OM Shiv Nagar Lalghati BMC, Bhopal.	1265242/-	9489/-	2000/-	Registered Electrical contractor in centralized registration system in MPPWD having valid electrical license	MPUADD SOR Works, 2021	1 माह	1 माह

नियम एवं शर्त :- (1) निविदा पत्र की निर्धारित राशि / घरोहर राशि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे. अन्य समस्त विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है. (2) ऑनलाइन निविदा में सभी प्रकार के संशोधनों की जानकारी मात्र www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है. (3) 18% जीएसटी अतिरिक्त देय होगा.

नि.क्र. 821/026/027

सहायक यंत्री (वि.) नगर निगम भोपाल



मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

कार्यालय महाप्रबन्धक (सिविल), चम्बल कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल

फोन ऑफिस : 0755-2678206, ई-मेल : gmcivil.mkvvcl@gmail.com

क्रमांक 050/महाप्रबं.सि./3114-15

भोपाल, दिनांक : 01.10.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सिविल वृत्त भोपाल के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु कम्पनी/म.प्र. शासन/केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत, ई.पी.एफ. नं. एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. प्राप्त ठेकेदारों से प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन के दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील (वर्तमान तक संशोधित) एस.ओ.आर. (भवन एवं विद्युत) बेस रेट में 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जोड़ कर भावपूर्ण सक्षम c-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

निविदा सूचना क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	घरोहर राशि रुपये में
मप्रसि/भो./53/01 (ई. निविदा क्र. 2026_MKVVC_540354_1	सं.सं. वृत्त विदिशा स्थित सिविल उपसभ्याग आवासीय परिसर में आवासीय भवनों के रखरखाव कार्य के संबंध में।	7.25 लाख	14,500/-
मप्रसि/भो./53/02 (ई. निविदा क्र. 2026_MKVVC_540363_1	स/सं. वृत्त रायसेन अंतर्गत 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में क्षतिग्रस्त चैन लिंक मेरा फेंसिंग के निर्माण, प्लिथ, प्रोटेक्शन फ्लोर एवं निर्ववण कक्ष के रखरखाव कार्य बावत्।	7.06 लाख	14,130/-

निविदा पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय : 03.10.2026 from 10:30 Hrs.

ऑनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 22.10.2026 up to 12:00 Hrs.

निविदा खुलने की दिनांक/समय : 23.10.2026 at 12:00 Hrs.

निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कंपनी की वेब. portal.mpcz.in पर देखें एवं mptenders.gov.in पोर्टल से निविदा क्रय कर सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/128370/2026

महाप्रबंधक (सिविल)

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक /1426/भू-अर्जन/2026

भोपाल, दिनांक 18/09/2026

प्रकरण क्रमांक 06/अ-824-2025-26

घोषणा

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013)

वृत्ति राज्य शासन को इस बात का समझाना हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुलालिया सिवाई परियोजना तहसील- बैरसिया, जिला- भोपाल के ग्राम-बादीखेड़ी के दूध क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक सभी भूमि जिनका कुचकावर व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनका आवश्यकता है.

अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
1.	सुलालिया सिवाई परियोजना के दूध क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-बादीखेड़ी की भूमि की आवश्यकता.	0.438
	कुल योग :	0.438

अनुसूची-2 (प्रभावितधारकों की सूची)

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि का प्रकार
1.	नारायणप्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति बाईदा पता नि. मंगलगढ़ सेवा खातेदार	11/1/1	1.214	0.033	कृषि
	कुल 1 फ़िता		1.214	0.033	
2.	प्रभुलाल पुत्र जालमसिंह जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114	0.235	0.094	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.235	0.094	
3.	भरोसिंह पुत्र मोहनलाल जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/1	0.348	0.072	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.348	0.072	
4.	रमनारायन पुत्र रूपसिंह, कस्तुरीबाई बेवा रूपसिंह जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/1	0.150	0.063	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.150	0.063	
5.	हरिसिंह पुत्र रूपसिंह कस्तुरीबाई बेवा रूपसिंह जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/2	0.150	0.044	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.150	0.044	
6.	गुलाबबाई पुत्री रूपसिंह, रसूलबाई पुत्री रूपसिंह, प्रेमबाई पुत्री रूपसिंह जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/3	0.048	0.024	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.048	0.024	
7.	गनपत सिंह पुत्र कालूराम जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	123/2/1	0.465	0.037	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.465	0.037	
8.	राधेकिशन पुत्र कालूराम जाति गुजर पता बादीखेड़ी बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	116/2	0.356	0.071	कृषि
	कुल 1 फ़िता		0.356	0.071	
	कुल 08 फ़िता		2.966	0.438	

भूमि के नक्शे (लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुविभागीय अधिकारी सुलालिया परियोजना उप समूह क्र.4 सुलालिया जिला राजमढ़ (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया जिला भोपाल

G1951/26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार कलेक्टर जिला भोपाल एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग